High Court Bar Association, Allahabad

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद

President
Amarendra Nath Singh 9415235319

Hony. Secretary
Prabha Shanker Mishra 9794028875

President
nad Azmi 9415208116

dent
Mishra 9793459898
9415214644
t Rai 9415613510
nt Mishra 9918095423
a)
stava 9839619432

retary Administration
Shukla 9935200044

retary Library
mar Pandey 9695457999

retary Press
Kumar Singh 9455973300

retary Women
ndey 9453808573

r
Chandra Tiwari 9721842815

s of Governing Council
Tiwari 9336585734
Singh 9451853291
nar Mishra 9389112772
war Dutt Pandey 9450589841

h Kumar Tripathi 9532435250
ukla 8004940194
Kumar Pandey 9450613778
Kumar Tripathi 9454934980
akant Tripathi 9454057971
Mani Tripathi 9305235011
Tripathi 9452934380
ijvi 8565899219
umar Chaubey 9454032657

Kumar Tiwari 9415186079
ra Kumar Mishra 9453464022

Ref. : No. H.C.B.A./............................ Dated : 23.02.2021

प्रकाशनार्थ

प्रयागराज। आज दिनांक 23.02.2021 को सायंकाल 03:30 बजे ओल्ड स्टडी रूम में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद की कार्यकारिणी की एक आपात बैठक **अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमरेन्द्र नाथ सिंह** की अध्यक्षता एवं **महासचिव श्री प्रभाशंकर मिश्र** के संचालन में सम्पन्न हुई जिसमें उ0प्र0 विधानसभा के वर्तमान वजट सत्र में **शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक** को जिस रूप में पारित किया गया है, उससे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिवक्तागण एवं अन्य अधिवक्ता संगठन आहत हैं। वर्ष 2019 में शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक पारित किया गया था जिसका प्रदेश के विभिन्न अधिवक्ता संगठनों, शिक्षक संगठनों, व्यापार संगठनों ने एकमत से विरोध किया था जिसके परिप्रेक्ष्य में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमण्डल पूर्व राज्यपाल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पं0 केशरीनाथ त्रिपाठी तथा बार काउन्सिल आफ इण्डिया के पूर्व चेयरमैन व वरिष्ठ अधिवक्ता पं0 विनय चन्द्र मिश्र के नेतृत्व में मिला था और मा0 मुख्यमंत्री महोदय से सकारात्मक वार्ता होने के पश्चात मा0 उप–मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा को विवाद के समाधान हेतु प्रकरण को संदर्भित किया गया और तत्समय उप–मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिवक्ताओं की मॉग से सैद्धान्तिक रूप से सहमत होते हुए तत्समय पारित शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक में संशोधन का आश्वासन भी दिया था, किन्तु वर्तमान अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण की प्रधानपीठ लखनऊ मे स्थापित करने का प्रस्ताव मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरणों की स्थापना हेतु प्रतिपादित सिद्धान्तों का न केवल विपरीत है बल्कि शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितो के भी विपरीत है। इसके साथ ही साथ अधिवक्ताओं की एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है और दूसरी तरफ न्यायाधिकरण में पीड़ित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने से अधिवक्ताओं को वंचित किया गया है जो संवैधानिक एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्था के विपरीत है तथा माह सितम्बर–2019 मे उप–मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा द्वारा सार्वजनिक रूप से दिये गये आश्वासन कि ''शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक'' की प्रधानपीठ प्रयागराज में स्थापित होगी तथा दूसरी पीठ लखनऊ में स्थापित होगी एवं दोनों का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ खण्डपीठ के अनुसार निर्धारित किया जायेगा किन्तु उप–मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा द्वारा दिए गये आश्वासन के विपरीत वर्तमान विधेयक के विरोध में शिक्षक नेताओं द्वारा की गयी आपत्तियों का समर्थन करते हुए उ0प्र0 विधान परिषद से यह आग्रह किया जा रहा है कि शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक के वर्तमान स्वरूप जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्ध है, वह किसी भी रूप में शिक्षकों व कर्मचारियों के उत्पीड़न को बढ़ाने वाला ही है, को निरस्त करवाने में सहयोग करें।

कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि **शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक के वर्तमान विघटनकारी एवं औचित्यहीन स्वरूप का विरोध करती है और विरोध स्वरूप कल दिनांक 24.02.2021 (बुधवार) को पूर्णरूप से न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए अपना विरोध प्रस्तुत करेगी।**

बैठक मे सर्वश्री जमील अहमद आजमी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अजय कुमार मिश्र 'अजय जयहिन्द', अनिल पाठक, रजनीकान्त राय, कृष्णा कांत मिश्र (के0के0 मिश्र), अन्जू श्रीवास्तव (उपाध्यक्षगण), अभिषेक शुक्ला (सं0 सचिव प्रशासन), दिलीप कुमार पाण्डेय (सं0 सचिव पुस्तकालय), राजेन्द्र कुमार सिंह (सं0 सचिव 'प्रेस'), मंजू पाण्डेय (सं0 सचिव महिला), दुर्गेश चन्द्र तिवारी (कोषाध्यक्ष), रामानुज तिवारी, प्रतिभा सिंह, आलोक कुमार मिश्र, रामेश्वर दत्त पाण्डेय 'आर0डी0', आशुतोष कुमार त्रिपाठी, रोहित शुक्ला, मनोज कुमार पाण्डेय, अंजनी कुमार त्रिपाठी, चन्द्रकान्त त्रिपाठी, गणेश मणि त्रिपाठी, आमोद त्रिपाठी, हया रिजवी, इन्द्र कुमार चौबे 'आई0के0', विनय कुमार तिवारी एवं बीरेन्द्र कुमार मिश्र (कार्यकारिणी सदस्यगण) सहित काफी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

उपरोक्त समस्त जानकारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के **संयुक्त सचिव प्रेस श्री राजेन्द्र कुमार सिंह** द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

Rajendra Kumar Singh

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव प्रेस

Rajendra Kumar Singh
Joint Secretary (Press)
High Court Bar Association
Allahabad

Website : http://www.hcbaallahabad2018.in | Email : highcourtbarallad@gmail.com
Phone : 0532-242 1942 | Fax : 0532-242 0404